बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-13/अ0प्र0-08-02/2023 4408 /पटना, दिनांक-5/8/24

प्रेषक,

आदित्य प्रकाश
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता-02/ मुख्य अभियंता-03/ मुख्य अभियंता-04/ मुख्य अभियंता-05/ मुख्य अभियंता-06
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार पटना।

विषयः- नवसृजित मुख्य अभियंता कार्यालय के निर्धारित मुख्यालय में संचालन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक पूर्व प्रेषित पत्रांक-3954 दिनांक-19.07.2024 द्वारा निदेशित किया गया था कि नवसृजित मुख्य अभियंता कार्यालय को अविलम्ब निर्धारित मुख्यालय में संचालित किया जाय एवं आवश्यक होने पर कार्यालय हेतु करीब 2500 से 3000 वर्गफीट स्थान के किराए का मकान लिए जाने हेतु यथाशीघ्र प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

उक्त निदेश के अनुरूप किसी भी नवसृजित मुख्य अभियंता कार्यालय के निर्धारित मुख्यालय से संचालित किए जाने की सूचना अथवा किराए के मकान लिए जाने का प्रस्ताव अप्राप्त है।

अतः निदेशानुसार कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रेषित निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं उक्त निदेश के अनुरूप कार्यालय भवन मिलने तक तत्काल नवसृजित मुख्य अभियंता कार्यालय को निर्धारित मुख्यालय के अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में कैम्प कार्यालय के रूप में अविलम्ब संचालित किया जाय एवं कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन समर्पित किया जाय।

विश्वासभाजन

5/8/24

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-13/अ0प्र0-08-02/2023 4408 /पटना, दिनांक-5/8/24

प्रतिलिपिः- अभियंता प्रमुख -सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना एवं अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को निदेशानुसार अनुश्रवण करने हेतु प्रेषित।

5/8/24

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-13/अ0प्र0-08-02/2023 4408 पटना, दिनांक-05/8/24

प्रतिलिपिः- सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/ सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग एवं आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/8/24

सरकार के अवर सचिव

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

148

पत्रांक– 13/अ0प्र0–08–02/23 3954 अ0 पटना, दिनांक–19/7/24

प्रेषक,

आदित्य प्रकाश,
अवर सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग।

सेवा में,

मुख्य अभियंता–2/मुख्य अभियंता–3/मुख्य अभियंता–4
मुख्य अभियंता–5/मुख्य अभियंता–6
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :– नवसृजित मुख्य अभियंता कार्यालय हेतु किराया का मकान लेने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक–2323 दिनांक–08.05.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग के नवसृजित कार्यालय हेतु किराया का मकान लिए जाने के निमित विभागीय अनुमति तथा वांछित कागजात के साथ सुस्पष्ट प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु सभी अधीक्षण अभियंता एवं सभी कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया था एवं उक्त पत्र की प्रतिलिपि आपको भी प्रेषित थी।

उक्त के क्रम में निदेशानुसार कहना है कि नवसृजित मुख्य अभियंता कार्यालय को अविलम्ब निर्धारित मुख्यालय में संचालित किया जाय एवं आवश्यक होने पर कार्यालय हेतु करीब 2500 से 3000 वर्ग फीट स्थान के किराए का मकान लिए जाने हेतु प्रासंगिक पत्र में दिए गए निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए यथाशीघ्र प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि किराया स्वीकृति पर निर्णय लिया जा सके।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन

19/7/24

(आदित्य प्रकाश)
अवर सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग।